क्रमांक–230 / विधि प्रकोष्ठ / प्र.अ. / 2010
कार्यालय प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग, तुलसी नगर, भोपाल–462003
फोन न.0755–2552646–2552878–फैक्स न.2552406–2551253
E-mail-encwrdbpl@mp.nic.in

भोपाल, दिनांक– / 08 / 2017

प्रति,

समस्त मुख्य अभियंता,
.....
जल संसाधन विभाग,
..... ।

विषयः– न्यायालयीन प्रकरणों की समीक्षा बैठक के संबंध में ।

संलग्न प्रपत्र–1के अनुसार समीक्षा बैठक आयोजित की जा रही हैं।कृपया न्यायालयीन प्रकरणों की पूर्व में निर्धारित प्रपत्र अनुसार संपूर्ण जानकारी, विशेष रूप से अवमानना प्रकरणों की अद्यतन जानकारी एवं दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के प्रकरणों में न्यायालय निर्णय के पालन के लिए लंबित प्रकरणों की स्पष्ट सूची, निर्णय की प्रति एवं पृथक–पृथक संक्षेपिका पेन ड्राईव के साथ आपके कार्यालय के नोडल अधिकारी एवं संबंधित सहायक के साथ प्रमुख अभियंता कार्यालय में उपस्थित होने हेतु निर्देशित करें । साथ ही "स्थाई कर्मी योजना" के लाभावित्त कर्मचारियों की जानकारी संलग्न प्रपत्र में पूर्ण कर लाएं।

संलग्नः– प्रपत्र एक

(एम.के दुबे)
मुख्य कार्मिक अधिकारी
कार्यालय प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग, भोपाल

पृ.क्रमांक–230 / विधि प्रकोष्ठ / प्र.अ. / 2010 भोपाल, दिनॉक 31 / 08 / 2017

प्रतिलिपिः–

वेब मेनेजर,डाटा सेंटर कोलार गेस्ट हाउस के पीछे,भोपाल की ओर विभागीय वेबसाईट पर तत्काल प्रविशिष्ट हेतु प्रेषित ।

संलग्नः– प्रपत्र एक

31.8.17

(एम.के दुबे)
मुख्य कार्मिक अधिकारी
कार्यालय प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग, भोपाल

म०प्र० शासन, वित्त विभाग के पत्र दिनांक 29-8-17 की प्रति संलग्न है। बिन्दु क्रमांक "स" की जानकारी भी देवें।

प्रपत्रः– एक

न्यायालयीन प्रकरणों की समीक्षा बैठक माह–सितम्बर –2017

स.क.	मुख्य अभियंता का नाम	बैठक दिनॉक	समय
1	मुख्य अभियंता, चंबल बेतवा कछार, जल संसाधन विभाग,भोपाल	11.09.2017	11 बजे से
2	मुख्य अभियंता, वि/यां. जल संसाधन विभाग,भोपाल		
3	मुख्य अभियंता, बोधी भोपाल		
4	मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, होशंगाबाद	12.09.2017	11 बजे से
5	मुख्य अभियंता, नर्मदा ताप्ती कछार, जल संसाधन विभाग, इंदौर		
6	मुख्य अभियंता, राजघाट नहर परियोजना दतिया		
7	मुख्य अभियंता, यमुना कछार, जल संसाधन विभाग, ग्वालियर	13.09.2017	11 बजे से
8	मुख्य अभियंता, बैन गंगा कछार, जल संसाधन विभाग, सिवनी		
9	मुख्य अभियंता, धसान केन कछार, जल संसाधन विभाग, सागर		
10	मुख्य अभियंता, गंगा कछार, जल संसाधन विभाग, रीवा		

टीपः– **कृपया मुख्य अभियंता, कार्यालय स्तर पर की गई विगत प्रत्येक समीक्षा बैठक का कार्य विवरण भी लायें एवं विशेष रूप से अवमानना प्रकरणों की अद्यतन स्थिति के साथ उपस्थित हो।**

31.8.17

(एम.के दुबे)
मुख्य कार्मिक अधिकारी
कार्यालय प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग, भोपाल

"स्थाई कर्मी योजना" लाभावित्त कर्मचारियों की संख्या

ुख्य अभियंता.....

दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की कुल संख्या .....

स. क.	स्थाई कर्मी योजना 7.10.16 के अनुसार वेतन प्राप्त कर रहें कर्मचारियों की संख्या	माननीय न्यायालय निर्णय अनुसार वेतन प्राप्त कर रहे कर्मचारियों की संख्या	माननीय न्यायालय निर्णय के अनुसार चाहने वाले कर्मचारियों की संख्या जो लंबित है	शेष रहे कर्मचारियों की संख्या	रिमार्क
1	2	3	4	5	6

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

क्रमांक 3648/21–ब(दो), भोपाल, दिनांक 29.08.2017

प्रति,

अपर मुख्य सचिव,
प्रमुख सचिव/सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
भोपाल (म.प्र.)

विषयः–न्यायालय में लंबित प्रकरणों के संबंध में वीडियो कांफ्रेसिंग दिनांक 01.09.17 बाबत्।

---00---

विधि विभाग के ज्ञापन क्रमांक 1948/21–ब(दो), दिनांक 15.05.2017 एवं दिनांक 19.05.2017 द्वारा वीडियों कांफ्रेसिंग बैठक में प्रत्येक विभाग के न्यायालय में लंबित प्रकरणों के लिए नियुक्त नोडल अधिकारी की सहभागिता अपेक्षित होने का अनुरोध किया गया है।

इसी क्रम में दिनांक 01.09.2017 प्रथम शुक्रवार (विभागों की सूची संलग्न है) समय अपरान्ह 4:30 बजे स्थान कक्ष क्रमांक–117, प्रथम तल स्थित, मंत्रालय में आयोजित की गई है।

दिनांक 18.08.17 को बैठक में उप महाधिवक्ता जबलपुर द्वारा नोडल अधिकारी, प्रभारी अधिकारी को न्यायालयीन प्रकरणों में निम्न सुझाव दिए गए हैः–

अ– प्रभारी अधिकारी प्रकरण में जवाबदावा समयसीमा के अंदर प्रस्तुत करें।

ब– पॉलिसी मेटर से संबंधित प्रकरणों में जिला स्तर के अधिकारियों को प्रभारी अधिकारी न बनाया जाए, क्योंकि उक्त प्रकरण मुख्यालय एवं शासन स्तर के होते है जिनके विषय के संबंध में उन्हें कोई जानकारी नही होती है।

स– वर्ष 2015 तक के लंबित प्रकरणों में जिनमें जवाबदावा प्रस्तुत नही किया गया है उनमें माह सितम्बर, 2017 तक जवाबदावा प्रस्तुत किया जावे। प्रभारी अधिकारी जवाबदावा प्रस्तुत करने हेतु महाधिवक्ता कार्यालय से सतत् संपर्क करें।

द– प्रभारी अधिकारी द्वारा जवाबदावा प्रस्तुत करने के पश्चात् पुनः रिमाइन्डर किया जाता है तो उससे संबंधित अभिलेख प्रभारी अधिकारी संबंधित शासकीय अधिवक्ताओं से संपर्क करें।

अतः आपसे अनुरोध है कि विभाग में नोडल अधिकारियों को वीडियों कांफ्रेसिंग में आवश्यक रूप से उपस्थित होने के लिए निर्देशित करने का कष्ट करें। यह भी अनुरोध है कि यदि नोडल अधिकारी के स्थान पर अन्य प्रतिनिधि उपस्थित होना चाहें तो वे बैठक में लिखित न्यायालयीन प्रकरणों के संबंध में अपने–अपने विभाग से संबंधित मूल बिन्दु पर तैयारी कर उपस्थित होवे, ताकि प्रकरणों के निराकरण में सुविधा हो सके।

(पंकज अग्रवाल)
प्रमुख सचिव, जल संसाधन

3 1 AUG 2017

(सी.एल.मुकाती)
अवर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

C.E.(I.S.)		S.E. (A)
C.E.-(N.M.)		C.P.O.
C.E. (P)		E.E. (V)
S.E. (Major)		E.E. (B)
S.E. (W)	Sr. P.A.	S.A. (EDP)

— 2 —

पृ0क0 3648/21--ब(दो), भोपाल दिनांक 29.08.2017

प्रतिलिपि:

1. महाधिवक्ता कार्यालय, जबलपुर की ओर भेजकर अनुरोध है कि साफ्टवेयर में सभी नोडल अधिकारियों को मोबाईल पर मेसेज/ई--मेल किया जावे, ताकि पिटीशन की कॉपी सबधित विभागे के नोडल अधिकारी को समय--सीमा में न्यायालयीन प्रकरणों का जवाबदावा समय पर तैयार करने में सुविधा हो सके।
2. अतिरिक्त महाधिवक्ता, उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर/ग्वालियर,
   की ओर भेजकर अनुरोध है कि उक्त तिथि में विधि पदाधिकारी को आवश्यक रूप से वीडियो कांफ्रेसिंग बैठक में उपस्थित होने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।
3. सचिव (समन्वय) मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल,
4. श्री शरद गौड़, विशेष कर्तव्य पदाधिकारी, आर.सी.व्ही.पी. नरोन्हा, प्रशासन अकादमी, शाहपुरा, भोपाल,
5. कलेक्टर, जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर (म0प्र0)को वीडियो कांफ्रेसिंग की व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु।
6. निज सचिव, माननीय विधि मंत्रीजी,
7. स्टॉफ आफिसर, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग,
8. श्री टी.गणेश कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ पदाधिकारी सूचना प्रोद्यौगिकी विभाग, मंत्रालय, भोपाल
9. प्रभारी अधिकारी (एन.आई.सी.) मंत्रालय भोपाल, (म0प्र0) इस विभाग के ज्ञापन दिनांक 12.07.17 के संबंध में,

की ओर सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

(सी.एल.मुकाती)
अवर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

न्यायालयीन प्रकरणों की वीडियो कांफ्रेसिंग
प्रथम शुक्रवार एवं तृतीय शुक्रवार के विभागों की सूचीः-

स.क्र.	प्रथम शुक्रवार		तृतीय शुक्रवार
1.	सामान्य प्रशासन विभाग	1	गृह विभाग
2.	वित्त विभाग		~~विधि और विधायी कार्य विभाग~~
3.	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	2	आवास और पर्यावरण विभाग
4.	राजस्व विभाग	3	लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग
5.	स्कूल शिक्षा विभाग	4	उच्च शिक्षा विभाग
6.	किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग	5	लोक निर्माण विभाग
7.	आदिम जाति कल्याण विभाग	6	वन विभाग
8.	जल संसाधन विभाग	7	वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग
9.	तकनीकी एवं कौशल विकास विभाग	8	चिकित्सा शिक्षा विभाग
10.	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग	9	श्रम विभाग
11.	परिवहन विभाग	10	नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
12.	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	11	वाणिज्यिक कर विभाग
13.	ऊर्जा विभाग	12	नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग
14.	सहकारिता विभाग	13	जनसंपर्क विभाग
15.	नर्मदा घाटी विकास विभाग	14	उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण विभाग
16.	मछली पालन विभाग	15	पशुपालन विभाग
17.	आयुष विभाग	16	संस्कृति विभाग
18.	पर्यटन विभाग	17	खेल और युवा कल्याण विभाग
19.	अनुसूचित जाति कल्याण विभाग	18	पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग
20.	जेल विभाग	19	भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग
21.	योजना, आर्थिक और सांख्यिकी विभाग	20	सामाजिक न्याय विभाग
22.	महिला एवं बाल विकास विभाग	21	खनिज साधन विभाग
23.	कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग	22	विज्ञान और टेक्नालॉजी विभाग
24.	पुनर्वास विभाग		~~सार्वजनिक उपक्रम विभाग~~
25.	लोक सेवा प्रबंधन विभाग	23	धार्मिक न्याय एवं धर्मस्व विभाग
26.	विमानन विभाग	24	जैव विविधता तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग
27.	सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	25	विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्धघुमक्कड़ जनजाति कल्याण विभाग
28.	संसदीय कार्य विभाग	26	जन शिकायत निवारण विभाग
		27	सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME) विभाग

12.7.17